कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: जनि/संशि/SIQE / 2015–16/ 171 दिनांक: / /2015 25/7/15.

समस्त मण्डल उपनिदेशक – माध्यमिक
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी एवं
जिला परियोजना समन्वयक – माध्यमिक,
समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक,
रमसा एवं समस्त संस्थाप्रधान राउमावि/मावि.।

विषयः– एस.आई.क्यू.ई. परियोजना के अन्तर्गत विद्यालय स्तरीय आधार रेखा आकलन एवं विद्यालय को प्रेषित सीसीपी–सीसीई शिक्षण सामग्री के उपयोग के बारे में दिशा – निर्देश के क्रम में।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् जयपुर के पत्र–रामाशिप/जय/एसआईक्यूई/2014–15/12950 दिनांक 25.07.2015 द्वारा विषयान्तर्गत संलग्न अनुसार गाइड लाइन जारी की जाती है।

उपनिदेशक जिला शिक्षा अधिकारी एवं विभागीय शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए जाते है। कि गाइड लाइन की अपने क्षेत्र में कियाविन्ति सुनिश्चित की जावे। उचित होगा कि जिला स्तर पर आयोजित होने वाली मासिक बैठक समस्त प्रधानाचार्य एवं प्रधानाध्यापकों की कार्यशाला में भी इस बाबत जानकारी उपलब्ध करवायी जावें।

जारी की गई गाइड लाइन विभागीय साईट http://www.rajshiksha.gov.in पर उपलब्ध है।

संलग्न – 1. गाइड लाइन – 05 पृष्ठ
2. आधार रेखा आकलन डेटा फीडिंग प्रपत्र

(सुवालाल)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सहायक, आयुक्त, रामाशिप, जयपुर।
3. निजी सहायक, आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
5. निदेशक, एसआईईआरटी, उदयपुर।
6. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, रामाशिप, जयपुर।
7. उपायुक्त, रामाशिप, जयपुर।
8. यूनिसैफ, जयपुर।
9. निदेशक, बोध शिक्षा समिति, जयपुर।
10. समस्त प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान।
11. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वैब साईट पर अपलोड कार्यवाही हेतु।
12. एमआईएस, प्रभारी रामाशिप, जयपुर।
13. कार्यालय प्रति

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,

कार्यालय, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः उनि/स.शि/SIQE /डीसीजी/2015–16/ दिनांकः / /2015

State Initiative for Quality Education : (SIQE)

SIQE परियोजना के अन्तर्गत विद्यालय स्तरीय होने वाले आधार रेखा आकलन एवं विद्यालय को प्रेषित सीसीपी–सीसीई शिक्षण सामग्री के उपयोग के बारे में दिशा – निर्देश

राज्य के समस्त राजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालयों में संचालित कक्षा 1 से 5 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के सीखने – सिखाने की प्रकियाओं में गुणात्मक वृद्वि के उद्देश्य से एसआईक्यूई परियोजना प्रारम्भ की गई है। इस परियोजना के प्रभावी कियान्वयन के लिये जिला प्रशासन व विद्यालय संस्थाप्रधानों/शिक्षकों के लिये दिशा निर्देश पत्र क्रमांक – उनि/स.शि/SIQE/डीसीजी/2015–16/66 दिनांक 01.05.2015 द्वारा जारी किये गये हैं।

विद्यालय स्तर पर आयोजित की जाने वाली गतिविधियों, प्रकियाओं को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निम्न दिशा निर्देश जारी किये जाते है –

आधार रेखा आंकलन (Base line Assessment) :–

एसआईक्यूई परियेाजना के अन्तर्गत प्राथमिक कक्षाओं में बालकेन्द्रित शिक्षण तथा सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन पद्वति का अभ्यास सुनिश्चित किया जाना है। सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन प्रारम्भ करने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी का वास्तविक अधिगम स्तर क्या है। आधार रेखा आकंलन/मूल्यांकन के **मुख्य उद्देश्य** निम्न हैं –

- कक्षा के सभी बच्चों के विषयवार वास्तविक कक्षा स्तर की पहचान।
- बच्चों की आवश्यकताओं को स्पष्ट रूप से चिन्हित कर वास्तविक कक्षा स्तर एवं आवश्यकता के अनुरूप शिक्षण अधिगम योजना तैयार करना।

- **प्रक्रिया के मुख्य बिन्दु –**
  - **सम्मिलित समूह** – कक्षा 2 से कक्षा 5 में अध्ययनरत/ नामांकित सभी विद्यार्थी
  - **विषय** – हिन्दी, गणित, अंग्रेजी
  - **प्रक्रिया** –

आधार रेखा आंकलन दो हिस्सों में किया जाये –

✓ **लिखित आंकलन –**

यह आंकलन लिखित प्रश्न पत्रो के आधार पर सभी बच्चों का लिया जाये।

- प्रश्न पत्र (Tools/ Work sheets) आदि के नमूने संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे है, तथा वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। इन (Tools) के आधार पर नमूने के प्रश्न पत्र जिला स्तर पर जिला शैक्षिक समूह के निर्देशन अथवा विद्यालय स्तर पर तैयार किये जायें।
- कक्षा स्तर पर जिन कौशलों एव क्षमताओं को देखा जाना है उनकी समझ हेतु अध्यापक योजना डायरी में दिये गये मूल कौशलों का अवलोकन करे। एवं तदनुसार ही लिखित आकलन प्रपत्र तैयार किये जाये।

- आधार रेखा आकलन करते समय विद्यार्थियों को दिये जाने वाले प्रश्न पत्रों में संबंधित कक्षा से नीचे की सभी कक्षाओं के स्तरानुसार प्रश्न सम्मिलित किये जाये ताकि एक विद्यार्थी का सही आकलन एक ही प्रश्न पत्र के आधार पर किया जा सकें। उदाहरण के लिये कक्षा 5 में अध्ययनरत विद्यार्थी को दिये जाने वाले प्रश्न पत्र में कक्षा 4, 3 एवं 2 से संबंधित दक्षताओं पर आधारित प्रश्न सम्मिलित किये जाये।
- आधार रेखा मूल्यांकन प्रकिया के अन्तर्गत लिखित आकलन प्रपत्र पर (Test Paper) अध्यापक की टिप्पणी अनिवार्य रूप से दर्ज की जाये। तथा यह प्रपत्र बच्चे के पोर्टफोलियो में संधारित की जाये। टिप्पणी में आंकलन के पश्चात निर्धारित कक्षा स्तर का स्पष्ट उल्लेख किया जाये।
- प्रत्येक विद्यार्थी आकलन (Base line Assessment) में सम्मिलित हो यह सुनिश्चित किया जाये। जो बच्चे आधार रेखा मूल्याकन दिनांको में अनुपस्थित रहे हों उपस्थित होने पर उनका आधार रेखा मूल्याकन करना सुनिश्चित किया जाये। चूंकि प्राथमिक कक्षाओं में नामांकन एक सतत् प्रकिया है। अतः जैसे ही विद्यार्थी विद्यालय मे आये उसका आधार रेखा मूल्यांकन प्राथमिकता से किया जाये।

✓ **कक्षा – कक्ष अवलोकन –**

- कक्षा में विद्यार्थियों के स्तरानुसार वे गतिविधियां आयोजित की जायें जो Comprehensive development को सुनिश्चित करती हैं। इन गतिविधियों में वाचन, चित्रकला, नृत्य, गायन, मौखिक अभिव्यक्ति आदि को भी सम्मिलित किया जा सकता है। संवाद पर गतिविधियों को प्राथमिकता दी जाये। ?
- नियोजित गतिविधियों में विद्यार्थियों की सहभागिता, रूचि, प्रदर्शन आदि के आधार पर उनके स्तर का आकलन किया जाये।

आधार रेखा आकलन प्रकिया में न्यूनतम 7 से 15 दिन लगेंगे। अतः समग्र प्रकिया को सहज एवं सरल तरीके से सम्पादित किया जाये। ताकि विद्यार्थियों की वास्तविक स्थिति की जानकारी हो सकें।

- **डेटा फीडिंग –**
  - प्राप्त डेटा को संलग्न प्रपत्र में फीड किया जाये।
  - यह फीडिंग शाला दर्पण के साथ ऑन लाइन की जाये। संस्थाप्रधान विद्यालय स्तर पर आधार रेखा आकलन की प्रविष्टि करवाना आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें।
  - आधार रेखा मूल्याकंन मे किसी भी बच्चे का वास्तविक स्तर कक्षावार, विषयवार भिन्न हो सकता है। अतः प्रत्येक बच्चे का सम्बन्धित विषय मे वास्तविक कक्षा स्तर अध्यापक डायरी एवं विद्यार्थी सचंयी अभिलेख में प्रविष्ट किया जाना सुनिश्चित करे।
  - अध्यापक योजना डायरी मे भी बच्चों के नाम कक्षा स्तरानुसार ही दर्ज किया जाये।
  - आकलन से प्राप्त परिणाम/कक्षा स्तर की तालिका अध्यापक द्वारा कक्षा–कक्ष में, विद्यालय की समेकित तालिका संस्थाप्रधान द्वारा स्वयं के कक्ष में एवं जिले की समेकित तालिका जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रदर्शित एवं संधारित की जाये।

- जिले की समेकित सूचना के आधार पर कक्षा स्तर के अनुसार (Learining Level) विद्यालयों को चिन्हित किया जाये एवं विशेष आवश्यकता वाले स्कूलों की लिये संबलन की विशेष कार्ययोजना बनाई जाये।

- **आधार रेखा आकलन को सुनिश्चित करने हेतु अवलोकनीय बिन्दु –**

आधार रेखा आकलन की प्रकिया को प्रत्येक स्तर पर (शिक्षक, हैड टीचर्स, प्रधानाचार्य जिला स्तर से विद्यालय अवलोकन करने वाले विभिन्न कार्यक्रम अधिकारी, डीएसएफ, डाइट प्रतिनिधि, एडीपीसी, अजिशिअ., शैप्रअ, जिशिअ. एवं राज्यकार्यालय के अधिकारी) निम्न बिन्दुओं के आधार पर सुनिश्चित किया जाये –

- कक्षा 2 से 5 में प्रविष्ट/नामांकन/अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों का आकलन कर लिया है।
- आधार रेखा आकलन की प्रकिया (प्रश्नपत्र विद्यार्थियों के पत्रक आदि) संधारित की गई है।
- सभी बच्चों के नाम एवं कक्षा स्तर रजिस्टर एवं अध्यापक योजना डायरी में आकलन के आधार पर प्राप्त कक्षा स्तर के अनुसार लिख लिये गये है।
- कक्षा स्तर के अनुसार समूहों का निर्माण कर लिया गया है।
- प्रत्येक कक्षा में समूहों के लिये स्पष्ट शिक्षण योजना तैयार की गई है।

सामग्री का प्रयोग एवं समझ :–

सभी विद्यालयों में बालकेन्द्रित शिक्षण तथा सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन सामग्री प्रेषित की गई है।

- **उद्देश्य :–**
  - यह सामग्री कक्षा–कक्षों में सीखने –सिखाने की प्रकिया को ठीक से नियोजित करने के लिये है।
  - सामग्री का उपयुक्त उपयोग प्रत्येक बच्चे की शैक्षिक स्तर, आवश्यकता एवं प्रगति को सुनियोजित रूप से समझने एवं संधारित करने के लिये है।
  - इस का मूल उद्देश्य शिक्षण प्रकिया को पहले से बेहतर एव बालकेन्द्रित बनाना है।
- **सामग्री के मुख्य अवयव –**

1. **विषयवार पाठ्यक्रम एवं टर्मवार अधिगम उद्देश्य पुस्तिकाए (कुल 4) –**

कक्षा 1 से 5 तक के पाठ्यक्रम को टर्मवार विभाजित करते हुये प्रत्येक विषय की एक कुल 4 पुस्तिकाएं तैयार की गई है। इन पुस्तिकाओं का उद्देश्य – **पाठ्यक्रम एवं अधिगम उद्देश्य की समझ विकसित करना, अधिगम उद्देश्य एवं आकलन सूचकों (Assessment indicators) को जानना एवं तद्नरूप कक्षा–कक्ष गतिविधियों को सुनिश्चित करना है।**

इन पुस्तिकाओं का उपयोग करते हुये प्रत्येक शिक्षक पाठ्यक्रम विभाजन के अनुसार शिक्षण योजनाएं बनाये एवं विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि को सुनिश्चित करे।

प्राथमिक कक्षाओं में पढाने वाले शिक्षकों को ये पुस्तिकाएं आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाई जाये।

2. **विषयवार एवं कक्षावार योजना डायरी (कुल–7) –**

विषय एवं कक्षा के अनुसार शिक्षक योजना डायरी तैयार की गई है जो कि संख्या में 7 है। शिक्षक डायरी का उद्देश्य है –

- ✓ कक्षागत अधिगम, क्षमताओं के अनुसार स्पष्ट उद्देश्यों के अंकन के साथ शिक्षण योजना तैयार करना।
- ✓ बच्चों के शैक्षिक स्तर के अनुसार योजना की समीक्षा कर बदलाव कर पाना।
- ✓ कक्षागत गतिविधियों एवं अभ्यासों के माध्यम से शिक्षण के साथ – साथ सतत् एवं व्यापक मूल्याकन को सुनिश्चित करना।

○ **उपयोग –**

- ✓ सभी शिक्षकों द्वारा कक्षा एवं विषयवार डायरी का उपयोग करते हुये शिक्षण योजना तैयार की जाये।
- ✓ सभी बच्चों का कक्षा स्तर अनुसार विवरण डायरी में संधारित किया जाये।
- ✓ कक्षा में की जाने वाली गतिविधियां, अभ्यास पत्रकों, प्रश्नावली आदि के नमूने डायरी मे संधारित किये जाये।
- ✓ अध्यापक डायरी सीसीपी एवं सीसीई प्रकिया का महत्वपूर्ण अंग है।
- ✓ डायरी के माध्यम से शिक्षक शिक्षण एवं मूल्यांकन प्रकिया कों नियोजित तरीके से सम्पादित कर पायेगें, साथ ही समग्र प्रकिया के अभिलेख भी संधारित कर पायेगें। अतः प्रत्येक शिक्षक द्वारा नियमित डायरी संधारण सुनिश्चित किया जाये।

3. **अभिलेख पंजिका –**

अभिलेख पंजिका विद्यार्थी अभिलेख पत्रक का संकलन है। एक अभिलेख पंजिका में 50 विद्यार्थी पत्रक उपलब्ध हैं। अभिलेख पंजिका का उद्देश्य सतत् वं व्यापक मूल्यांकन प्रकिया के अनुसार विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धियों की रिपोर्ट संधारित करना है। अभिलेख पंजिका एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो विद्यालय में

पंजिका के प्रथम पृष्ठ पर सभी प्रविष्टियों के बारे में स्पष्ट निर्देश एवं ग्रेड आदि का उल्लेख किया गया हैं। विद्यार्थी की उपलब्धियों का ब्यौरा अभिलेख पंजिका मे ही दर्ज किया जाना है। अतः निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित की जाये –

- ✓ अभिलेख पंजिका के प्रथम पृष्ठ की पूर्ति सत्रारम्भ में ही कर ली जाये।
- ✓ प्रत्येक टर्म के बाद (योगात्मक आकलन) अभिलेख पंजिका संधारित की जाये।
- ✓ अध्यापक द्वारा की जाने वाली समेकित टिप्पणी स्पष्ट व उद्देश्य परक हो जिससे विद्यार्थी के शैक्षिक स्तर की वास्तविक जानकारी मिल सकें। टिप्पणी में दर्ज स्तर के साक्ष्य विद्यार्थी पोर्टफोलियों में देखे जा सकें यह सुनिश्चित किया जाये।
- ✓ अभिभावक टिप्पणी को भी पर्याप्त महत्व दिया जाये।

4. **रिपोर्ट कार्ड –**

सत्र के अन्त में विद्यार्थी को दिया जाने वाला दस्तावेज।

5. **स्रोत पुस्तिका (कुल –2) –**

स्रोत पुस्तिका में सतत् एवं व्यापक मूल्याकन प्रकिया की समग्र जानकारी दी गई है। स्रोत पुस्तिका शिक्षक गाइड के रूप में तैयार की गई है। जिसमे सतत् एवं व्यापक मूल्याकन प्रकिया की समग्र जानकारी, व्यवस्थित रूप से चरणवार दी गई है। संस्थाप्रधान सुनिश्चित करे कि प्राथमिक कक्षा के शिक्षकों को स्रोत पुस्तिका नियमित उपलब्ध हो। प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षण से जुडा प्रत्येक घटक (संस्थाप्रधान, हैड टीचर्स एवं शिक्षक) इन स्रोत पुस्तिकाओं का अध्ययन करे। यह सुनिश्चित करने के लिए संस्थाप्रधान विद्यालय स्तर पर लघुकार्यशाला का आयोजन कर सकते है। शिक्षक कार्यशालाओं मं स्रोत पुस्तिका के बारे में विस्तृत चर्चा की जाये तथा शिक्षकों को स्रोत पुस्तिका के उपयोग के लिए प्रेरित किया जाये।

आधार रेखा आकलन एवं शिक्षण सामग्री के उपयोग से ही विद्यालयों में स्टेट इनिशियेटिव परियोजना की मंशा के अनुरूप बाल केन्द्रित शिक्षण और सतत् एवं व्यापक मूल्याकन की कियान्विति सुनिश्चित हो सकेगी तथा परिणाम स्वरूप – सभी विद्यार्थी अपने व्यक्तित्व का समग्र विकास करते हुये, आयु एवं कक्षा के अनुसार शैक्षिक स्तर प्राप्त कर सकेगें।

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान,
बीकानेर

प्रपत्र (अ) विद्यालय में बच्चों के शैक्षिक स्तर की स्थिति

विषय	कक्षा – 1			कक्षा – 2			कक्षा – 3				कक्षा – 4				कक्षा – 5					
	नामांकन	शाला पूर्व कक्षा	कक्षा 1	नामांकन	कक्षा 1	कक्षा 2	नामांकन	कक्षा 1	कक्षा 2	कक्षा 3	नामांकन	कक्षा 1	कक्षा 2	कक्षा 3	कक्षा 4	नामांकन	कक्षा 1	कक्षा 2	कक्षा 3	कक्षा 4	कक्षा 5
हिन्दी																					
अंग्रेजी																					
गणित																					
प. अध्ययन																					